

**भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ**

फा. सं. 06/31/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 4 नवंबर, 2025

**शुद्धिपत्र अधिसूचना**

**मामला सं. एडी (ओआई) -29/2024**

विषय: तुर्की, रूस, यूएसए और ईरान के मूल अथवा वहां से निर्यातित "सोडा एश" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच।

एफ. सं. 6/31/2024-डीजीटीआर: सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित, को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में अधिसूचना एफ. सं. 6/31/2024-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितंबर 2025 के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए हैं।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4, पैरा 162 में शुल्क तालिका में मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण, अधिसूचना में उक्त तालिका को संशोधित करके निम्न प्रकार पढ़ा जाता है:

एस. एन.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	मात्रा	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2836.20	सोडा ऐश (डिसोडियम कार्बोनेट)	तुर्की	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान	ईटीआई सोडा यूरेटिम पज़ारलामा नकलियत वे	37	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

				सहित कोई भी देश	इलेक्ट्रिक यूरेटिम सनायी वे टिकारेट ए.एस. मैसर्स कज़ान सोडा इलेक्ट्रिक यूरेटिम ए.एस.			
2.	-वही-	-वही-	तुर्की	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान सहित कोई भी देश	तुर्किये सिसे वे कैम फैब्रिकालारी ए.एस	17	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
3.	-वही-	-वही-	तुर्की	तुर्की सहित कोई भी देश	एसएन 1 और 2 के अलावा कोई भी निर्माता	87	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
4.	-वही-	-वही-	तुर्की, अमेरिका, रूस और ईरान के अलावा कोई भी देश	तुर्की	कोई	87	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

नोट: यदि आयात संयुक्त अरब अमीरात से होने की सूचना दी जाती है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी विषयगत वस्तुओं के मूल का सत्यापन कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी